

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक 30 / अति0अनु0 / न0नि0सहा0 / 2024-25


दिनांक:-18, जून, 2024

प्रभारी मीडिया,

इस आशय से प्रेषित। कि उक्त सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) 02 समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला व दैनिक हिन्दुस्तान पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।


-----:::सार्वजनिक सूचना:::-----

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि अतिक्रमण विभाग, नगर निगम सहारनपुर की जुर्माना रसीद बुक संख्या 1012 दिनांक 18.06.2024 को अपरान्ह में गुम हो गयी है, इस सूचना के माध्यम से सभी को सूचित किया जाता है, कि दिनांक 18.06.2024 के उपरान्त यदि रसीद बुक संख्या 1012 से कोई रसीद निर्गत की जाती है, तो वह रसीद अमान्य मानी जायेगी।


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

प्रतिलिपि:-

- 1-नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2-प्रभारी अतिक्रमण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3-श्री मोहित तलवार, आई0टी0 ऑफिसर को इस निर्देश के साथ की उक्त सूचना विज्ञप्ति को नगर निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
- 4-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।


अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर